

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-गम्भीरपुरअधपके गोमांस व लोहे के चापड़ तथा लकड़ी के गुठके के साथ तीन अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित गैग्रेस्टर, ईनामिया, की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षकनगर व क्षेत्राधिकारी सदर जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर ज्ञानू प्रिया मय हमराह के फरिहा मोड पर वाहन चेकिंग व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग किया जा रहा था कि जरिए मु खवीर सूचना मिली कि ग्राम फैजुल्लाहपुर नट बस्ती मे मेराज पुत्र सुफियान उर्फ सोफी अपनो साथियो को साथ गोबंश का बध करके उसका मांस खाने व बेचने वाले है । मुखवीर की सूचना से मौजूद समस्त पुलिस वल को अवगत कराकर तथा आवश्यक दिशा निर्देश देकर ग्राम फैजुल्लाहपुर नट बस्ती पहुंचे तथा मु खवीर के बताये अनुसार मेराज पुत्र सुफियान उर्फ सोफी के घर के चारो तरफ बने अहाते को घेर कर खुले गेट की तरफ से जाकर तलाशी ली गयी तो मौके पर एक व्यक्ति सच्चू पुत्र सोफीयान उर्फ सोफी निवासी ग्राम फैजुल्लाहपुर नट बस्ती थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ मौजूद मिला जिसकी पास से एक अदद चापड़ लोहे का तथा गोलाकार लकड़ी का एक गुटका बरामद हुआ । कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि मैं तथा मेरे बडे भाई मेराज व मेरे गाँव के इमरान पुत्र मुंशी , मुंशी पुत्र स्व0 मीता , नन्हे पुत्र जऊवाद सभी लोग मिलकर इसी अहाते में गौवंश को खाने व बेचने हेतु काटे थे । मुंशी व नन्हे बनाकर खाने हेतु लगभग 10 किलोग्राम गौमांश अपने घर ले गए है तथा शेष गौमांश मेरे बडे भाई मेराज व गाँव के इमरान विक्रय हेतु कहीं ले गए है । पकडे गए व्यक्ति सच्चू उपरोक्त को साथ लेकर क्रमशः मुंशी पुत्र स्व. मीता व नन्हे पुत्र जऊवाद के घर पहुंची तो मुंशी उपरोक्त अपने घर पर एक एल्युमिनियम के पतीले (डेकची) में लगभग 5 किलोग्राम गौमांश तथा नन्हे उपरोक्त भी अपने घर लगभग 5 किलोग्राम गौमांश पकाते हुए मिला । बरामद उपरोक्त अधपके गौमांश व पकाने वाले बर्तन दो अदद पतीला एल्युमिनियम को कब्जा पुलिस में लिया गया । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः 1. मु0अ0स0- 120/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम 2. मु.अ.स. 121/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0- 120/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

मु0अ0स- 121/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी

10 किलो अधपका गोमांश, एक अदद लोहे का चापड़, एक अदद लकड़ी का गुटखा, दो अदद पतीला

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. सच्चू पुत्र सोफीयाफं उर्फ सोफीनिवासी फैजुल्लाहपुर नट बस्ती थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. मुंशी पुत्र स्व. मीता निवासी फैजुल्लाहपुर नट बस्ती थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. नन्हे पुत्र जऊवारनिवासी फैजुल्लाहपुर नट बस्ती थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. उ.नि. राजेन्द्र प्रसाद पटेल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
3. उ.नि. हरिचरण यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
4. का0 बैजनाथ सरोज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
5. का0 सतोष मिश्रा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
6. का0 राजेन्द्र कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
7. का0 सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
8. का0 उदयभान गुप्ता थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

थाना अतरौलिया

03 गौवंश जीवित व एक ट्रक के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा गौवंश की तस्करी करने वाले अपराधियोंकी गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुरश्री महेन्द्र कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज पाण्डेय अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में दिनांक 17/06/21 को उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह का0 रणविजय व का0 विजय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी नन्दना बाजार में मौजूद थे कि जरीये मुखबिर ज्ञात हुआ कि ग्रा0 रीठिया में राजकुमार के भट्टे के पास एक ट्रक गौ तस्करी के लिए आया है। जिस पर गौ तस्करो द्वारा गौवंश लाद कर बिहार वध हेतु ले जाना चाहते हैं। यदि जल्दी किया जाये तो गौ तस्कर मय ट्रक तथा गौवंश के साथ पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर बताये हुये स्थान स्थान से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले मोटर साइकिल रोक कर गौ तस्करो का आहट लेने लगे कुछ समय बाद देखा कि चार, पांच व्यक्ति टार्च की रोशनी में गौवंश को ट्रकनं0 UP54 D2128 पर चढ़ा रहे हैं। पुलिस वाले जब एकाएक पहुँच तो वहाँ पर भगदड़ हो गई भागे हुए तस्कर में से एक व्यक्ति को मौके पर समय करीब 22.00 बजे हमराही कर्मचारीगण की मदद से पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम बदरे आलम S/O भोला साह निवासी पकड़ीहापुर (मखनहा) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बताया उम्र करीब 28 वर्ष। भागे हुए व्यक्ति के बारे में कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताया कि साहब वह लोग मेरे साथी है। हम लोग जानवर को लाद कर बिहार ले जाते है। जहाँ से पश्चिम बंगाल चले जाते है। भागे हुए साथी के बारे में नाम पता पूछा गया तो बताया कि इमरान s/o ऐहसान आली, सोनू साह s/o आजाद साह, करीया बंजारा s/o नगीना निवासीगण पकड़ीयापुर (मखनहा) थाना अतरौलिया तथा ट्रक चालक नाम पता अज्ञात यही लोग थे। जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये ट्रक के नीचे खड़े जानवर उसी भगदड़ में चारों तरफ खेत की ओर भाग गये ट्रक पर मौजूद तीन अदद गौवंश देखा गया। बदरे आलम उपरोक्त तथा फरार अन्य अभियुक्तगण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5 A/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम का दण्डनीय अपराध है। अपराध का बोध कराते हुये अभियुक्त बदरे आलम S/O भोला साह को उपरोक्त को बाजाफता हिरासत पुलिस लिया गया। 03 अदद गौवंश जीवित को उ0नि0 रामकिशोर शर्मा द्वारा सूर्यभान यादव निवासी ग्राम जमीन दशांव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को उनके स्वेच्छानुसार सुपुर्द किया गया। फरार अभियुक्त की तलाश की जा रहा है तथा बरामद ट्रक जब्त कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 102/21 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 थाना अतरौलिया , आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बदरे आलम पुत्र भोला साह, निवासीगण पकड़ीयापुर (मखनहा), थाना अतरौलिया , आजमगढ़

बरामदगी -

एक अदद ट्रक UP54 D2128 व 3 अदद गौवंश जीवित

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. SI राम किशोर शर्मा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 रणविजय थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 विजय यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़